

यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013

प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 19, सूचना का अधिकार, ओपन कोरुट

मेन्स के लयः

यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के खललफ महिलाओं का संरक्षण और इसकी आलोजना ।

चरुा में क्युँ?

हाल ही में [सरवुओचु नुयायालय](#) में एक याचकल दायर की गई है जसमें बॉम्बे हाईकोरुट द्वारा यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013 के तहत मामलों में जारी दशल-नरुदेशों को चुनौती दी गई है ।

- जसल प्रारवधान को चुनौती दी गई, वह मीडया के साथ आदेश और नरुणय सहलतल रकलरुड साझा करने से पारुटयुँ और अधवलकताओं पर 'ब्लैकेट बार' से संबंधलतल है ।
- POSH अधिनियम के तहत एक मामले में पकषुँ की पहचान की रकुषा के लयल बॉम्बे हाईकोरुट के नुयायाधीश जीएस पटेल द्वारा ये दशल-नरुदेश दयल गए थे ।

प्रमुख बलुदु

- याचकलकरुतता की दलीलें:
 - **अनुच्छेद 19 की भावना के खललफ:** याचकलकरुतता ने तरुक दयल कल 'ब्लैकेट बार' [अनुच्छेद-19](#) के तहत नहलतल भाषण और अभवलकतल की सुवतंतरुता के खललफ है ।
 - याचकल में कहा गया है कल एक जागरुक नागरकल सुवयं को बेहतर तरुके से नरुयंतरुतल करता है ।
 - अभवलकतल की सुवतंतरुता पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब यह नुयायकल प्रशासन में हसुतकषेप करे ।
 - लोगों के सहल और सटीक तथुँ को जानने के अधिकार पर कोई भी नषलधाजुजा उनके सूचना के अधिकार का अतकलरुमण है ।
 - **महललाओं की आवाजु का दमन:** यह पुरुषुँ द्वारा महललाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखने और उसके बाद सोशल मीडया व समाचार मीडया में उनकी आवाजु को दबाने के लयल एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है ।
 - **सामाजकल नुयाय और महलला सशकुतीकरण** के मामलों में सारुवजनकल वमलरुश महललाओं को दयल जाने वाले कानूनी अधिकारुँ की प्रकुतल को आकार देने में महतुतुवपूरुण भूमकल नभलता है ।
 - आदेश का "रपलल इफेकुट" हो सकता है और बचे लोगों को अदालतुँ का दरवाजुा खटखटाने के साथ-साथ मुकदमे के मामलों के लयल एक मसलल कायम करने से रोक सकता है ।
 - **ओपन कोरुट के सदलधांत के खललफ:** ओपन कोरुट के सदलधांतुँ और लोगों के [मौलकल अधिकारुँ](#) के घोर उलुलंघन के साथ यौन अपराधयुँ के अनुचतल संरकुषण को वैध बनाना ।
 - **ओपन कोरुट** एक शुकषकल उदुदेशुय को पूरा करता है ।
 - नुयायालय नागरकुँ के लयल यह जानने का एक मंच बन जाता है कल कानून का वुयावहारकल अनुप्रयुग उनके अधिकारुँ पर कुँसे प्रभाव डालता है ।

यौन उत्पीड़न के खललफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

- **भूमकल:** सरवुओचु नुयायालय ने [वशलखा और अनय बनाम राजसुथान राजुय 1997](#) मामले के एक ऐतहलसकल फंसले में 'वशलखा दशल नरुदेश' दयल ।
 - इन दशल नरुदेशुँ ने कारुयसुथल पर महललाओं का यौन उत्पीड़न (रुकथाम, नषलध और नवलरण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया ।
- **तंतरु:** अधिनियम कारुयसुथल पर यौन उत्पीड़न को परलभाषतल करता है और शकलयातुँ के नवलरण के लयल एक तंतरु बनाता है ।

- प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है।
- शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।
- **दंडात्मक प्रावधान:** नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।
 - बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- **प्रशासन की ज़िम्मेदारी:** राज्य सरकार हर ज़िले में जिला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee- LCC) का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

नोट: SHe-Box

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (Sexual Harassment electronic-Box - SHe-Box) लॉन्च किया है।**
- यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा हेतु संगठित या असंगठित, नज़ी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही हर महिला को पहुँच प्रदान करने का प्रयास है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
- एक बार शिकायत 'SHe-Box', में दर्ज हो जाने के बाद सीधे संबंधित प्राधिकारी को मामले में कार्रवाई करने हेतु अधिकार क्षेत्र में भेजा जाएगा।

आगे की राह

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पर **जे.एस. वर्मा समिति (J.S. Verma Committee)** की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है:
 - **रोज़गार न्यायाधिकरण:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के बजाय एक रोज़गार न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
 - **स्वयं की प्रक्रिया बनाने की शक्ति:** शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिये समिति ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने हेतु उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया का चयन करने की शक्ति दी जानी चाहिये।
 - **अधिनियम के दायरे का विस्तार:** घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
 - समिति ने कहा कि किसी भी तरह के 'अवांछनीय व्यवहार' को शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये, जिससे यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा व्यापक हो सके।
 - **नियोक्ता का दायित्व:** वर्मा समिति ने कहा कि एक नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये यदि:
 - उसने यौन उत्पीड़न में उत्पीड़क की सहायता की हो।
 - एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद की हो, जहाँ यौन दुराचार व्यापक एवं व्यवस्थित हो।
 - जहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति और कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के तरीकों का खुलासा करने में वफिल रहता है।
 - जब नियोक्ता ट्रेबियूनल को शिकायत अग्रपेक्षित करने में वफिल रहता है।
 - कंपनी शिकायतकर्ता को मुआवज़े का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी होगी।
 - समिति ने झूठी शिकायतों के लिये महिलाओं को दंडित करने का वरीध किया, क्योंकि यह संभावित रूप से कानून के उद्देश्य को समाप्त कर सकता है।
 - वर्मा समिति ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा समाप्त की जानी चाहिये और शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टू